ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री देवी चन्द	01.04.13 से 22.1.16
2	श्री प्रेम सिंह	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सूरज सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड द्रंग के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	रोकड़वहियों के रख रखाव में पाई गई विभिन्न गम्भीर अनियमितताएं	
2	10	अनुदान राशि का उपयोग न करना	11.11
3	11	प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय करना	1.75
4	13	व्यय से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत न करना	1.83
5	14	मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान	0.05
6	15	मनरेगा से मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान	0.03

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20.07.2016 एवं 25.07.2016 से 28.7.2016 तक उक्त ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 04/13, 10/14, 09/15 एवं 03/14, 07/14, 01/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत/अपूर्ण एवं उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 111/2016 दिनांक 28.07.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिक्कर से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड द्रंग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1 से 4** पर भी दिया गया है

(i) स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति			व्यय		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष
2013–14	148837.55	7790	101360	257987.55	3628	271921	(–) 17561.45
2014–15	(–)17561.45	2940	351691	337069.55	–	355208	(–) 18138.45
2015–16	(–)18138.45	14430	1065457	1061748.55	453	12177028	(–) 156412.45

(ii) अनुदान (BASP, IAY, AAY, RAY)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	42899.31	342513	385412.31	215326	170086.31
2014–15	170086.31	276584	446670.31	419235	27435.31
2015–16	27435.31	400686	428121.31	238526	189595.31

(iii) अनुदान (13वाँ वित्तायोग, टी0एस0सी0)

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	199062	6259	205321	193103	12218
2014–15	12218	49135	61353	64789	(–) 3436
2015–16	(–)3436	375694	372258	176015	196243

(IV) मनरेगाः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	(–)386165	4055981	3669816	3231123	438693
2014–15	438693	1912132	2350825	1800569	550256
2015–16	550256	3921135	4471391	3921135	550256

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत टिक्कर की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों एवं सम्बन्धित बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (बिल बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न रोकड़ बहियों के अन्तिम शेषों व बैंक खातों के अन्तिम शेषों में निम्न प्रकार से अन्तर था जिसका समाधान किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही का नाम	रोकड़ वही का अन्तिम शेष	बैंक का अन्तिम शेष	अन्तर
1	स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान	(–) 156412.65	176127.00	332539.65
2	अनुदान (BASP, IAY, AAY, RAY)	189595.31	190866.31	1271.00
3	अनुदान (13वाँ वित्तायोग, टी0एस0सी0)	196243.00	213419.00	17176.00
4	मनरेगा	550256.00	483446.00	(–) 66810

6 रोकड़ बहियों में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं के सन्दर्भ मेंः–

ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमों में वर्णित प्रावधानों अनुसार नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त प्राप्तियों एवं व्यय को रोकड़

बहियों में दर्ज न करने के अतिरिक्त रोकड़ बहियों में कई स्थानों पर योगों की गल्तियों की गई है तथा कई बार आय/व्यय को रोकड़ बही में दर्ज करने उपरान्त उसे रोकड़ बही के योग से नहीं घटाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बहियों में शेष को आगामी पृष्ठ पर भी कई मामलों में गलत उठाया गया है जिस कारण ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियाँ पंचायत की वास्तविक वित्तीय स्थिति को परिलक्षित नहीं करती है। ग्राम पंचायत द्वारा कई मामलों में बैंक से प्राप्त ब्याज की राशियों एवं बैंक द्वारा काटी गई बैंक कमीशन को भी रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है। पंचायत द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों को कई मामलों में रोकड़ बही में दर्ज करने उपरान्त उन्हें रोकड़ बही के कुल योग में नहीं लिया गया है तथा कुछ मामलों में प्राप्त अनुदान राशियों को रोकड़ बहियों में दर्ज ही नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में की गई विभिन्न अनियमितताओं/गल्तियों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान रोकड़ बहीः–

(i) रोकड़ बही पृष्ठ 20 दिनांक 17.5.2013 को कृत व्यय ₹13780 को रोकड़ बही में व्यय पक्ष में कुल योग से कम न करना।

(ii) दिनांक 29.7.2013 का अन्तशेष ₹91239.55 था, जिसे दिनांक 30.7.2013 (पृष्ठ 22) में ₹160679.65 लिखा गया है, एवं इस प्रकार ₹69440/– अधिक शेष रोकड़ बही में दर्शाया गया है।

(iii) रोकड़ बही पृष्ठ 52 अनुसार दिनांक 30.6.2015 के ₹70000/– प्राप्त अनुदान एवं ₹260 भू **राजस्व को रोकड़ बही के कुल योग में नहीं लिया गया है।**

(ख) अनुदान (BASP, IAY, AAY, RAY) रोकड़ बही

(i) दिनांक 21.05.2014 को शेष हस्तगत ₹363/– थी, जिसे रोकड़ बही में ₹457/– दिखाकर ₹94 की अधिक हस्तगत राशि दर्शाई गई।

(ii) दिनांक 23.6.2015 (पृष्ठ–34) अनुसार कृत व्यय ₹49000/– को रोकड़ वही में से नही घटाया गया है।

(ग) अनुदान (13वाँ वित्तायोगएवं टी0एस0सी0) रोकड़ बहीः–

(i) दिनांक 31.3.2014 को रोकड़ बही अनुसार अन्तिम शेष ₹12218/– था जिसे दिनांक 01.04.2014 को रोकड़ बही में ₹29424/– दर्शाकर ₹17206/– अधिक शेष दर्शाया गया है।

(ii) दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही का अन्तिम शेष ₹13770/– था, जिसे 01.04.2015 को ₹13178/– दर्शाकर ₹592 कम शेष दर्शाया गया है।

G.P. Tikker

(घ) मनरेगा रोकड़ बहीः–

(i) माह 5/2013 (पृष्ठ 35) अनुसार रोकड़ बही में आय पक्ष को कुल योग ₹320140/– बनता है, जिसे रोकड़ बही में ₹325140/– दर्शाया गया है एवं इस प्रकार ₹5000/– आय पक्ष में अधिक दर्शाये गये हैः–

(ii) दिनांक 16.05.2013 (पृष्ठ 36) में अथशेष (–) ₹61025 के स्थान पर (–)₹406325/– दर्शाया गया है एवं इस प्रकार (–)₹345300 का अन्तर रोकड़ बही में पाया गया है।

(iii) दिनांक 01.01.2014 (पृष्ठ 59) में व्यय पक्ष का कुल योग ₹90312/– के स्थान पर ₹82248/– दर्शाकर ₹8064/– का व्यय कम दर्शाया गया है।

ग्राम पंचायत टिक्कर द्वारा सभी रोकड़ बहियों में इस प्रकार कई तरह की अनियमितताऐं/गल्तियाँ की गई है, जिनका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट 6 से 9"** में विस्तारपूर्वक दिया गया है।

रोकड़ बहियों की जाँच मे ंपाया गया कि पंचायत द्वारा कुछ मामलों में रोकड़ बहियों के शेष माईनस (–) में दर्शाये गये है, जबकि नियमानुसार रोकड़ बहियाँ माईनस (–) मे ंनहीं लिखी जा सकती है।

अतः पंचायत की रोकड़ बहियों में पाई गई इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताओं/गल्तियों की ओर उच्चाधिकारियों की ओर विशेष रूप से लाया जाता है तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि इन समस्त गल्तियों को रोकड़ बहियों में ठीक किया जाए ताकि पंचायत की रोकड़ बहियाँ पंचायत की वास्तविक वित्तीय स्थिति को परिलक्षित करें एवं लेखांकन के सिद्धान्तों का भी पूर्ण रूप से पालन सम्भव हो सके। इसके अतिरिक्त भविष्य में रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से आगामी अंकेध्क्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बहियों में ₹955/– को हस्तगत राशि के रूप में कम दिखाकर इस राशि का सम्भावित दुर्विनियोजनः–

ग्राम पंचायत टिक्कर की रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹955/– को रोकड़ बही में हस्तगत राशि के शेष में गलत गणना/अनियमित रूप से दोहरा व्यय दर्शाकर इस राशि को रोकड़ बही से कम कर दिया गया है।

(1) दिनांक 28.01.2014 (पृष्ठ 27) पर हस्तगत ₹1.00 कम दर्शाई गई है। (स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान रोकड़ बही)

(2) दिनांक 02.03.2015 (पृष्ठ–46) द्वारा गृहकर के रूप में प्राप्त ₹40.00 का न हस्तगत शेष के रूप में दर्शाया गया है एवं न ही इस राशि को बैंक में जमा करवाया गया है। (स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान रोकड़ बही)

(3) दिनांक 29.6.2015 (पृष्ठ–51) में दर्शाये गये व्यय ₹453/– का भुगतान हस्तगत राशि में से दर्शाया गया है, किन्तु उक्त व्यय की निकासी बचत खाते से भी की गई है। (स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान रोकड़ बही)

(4) रोकड़ बही पृष्ठ–18 अनुसार माह 12/2013 में हस्तगत ₹4/– अगले पृष्ठ पर कम ले जाई गई है। (अनुदान BASP, IAY, AAY, RAY रोकड़ बही)

अतः उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 5 में वर्णित हस्तगत ₹955/–को रोकड़ बही में से कम करने के कारण उक्त राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है, जिस बारे में विभागीय स्तर पर जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त खाते में जमा करवाई जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत द्वारा गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

ग्राम पंचायत टिक्कर द्वारा गृहकर की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि कि पंचायत द्वारा गृहकर से सम्बन्धित माँग एवं संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है एवं न ही पंचायत द्वारा गृहकर की वर्षवार माँग एवं उसके संग्रहण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अन्य अभिलेख का रख रखाव किया गया है, जिसके अभाव में पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2016 को कितना गृहकर के रूप में वसूली हेतु लम्बित था एवं वर्षवार कितनी गृहकर की माँग एवं उसका संग्रहण किया गया है, से सम्बन्धित सूचना पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई एवं न ही उसकी जाँच/पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में की जा सकी। अतः गृहकर से

सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख का रख रखाव नियमानुसार सुनिश्चित करते हुये जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान ₹11.11 लाख का उपयोग न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट—5** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1110870/—उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 प्राप्त अनुदान से ₹1.75 लाख का अधिक व्यय करनाः—

ग्राम पंचायत टिक्कर द्वारा अनुदानों की प्राप्ति, व्यय एवं शेष से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट—5"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक ₹175079/— प्राप्त अनुदान राशियों से अधिक व्यय कर दिये गये थे। ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों के स्वीकृति पत्र की शर्तों अनुसार पंचायत को व्यय प्राप्त अनुदान राशि तक ही सीमित किया जाना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से अधिक किया गया व्यय अनियमित एवं आपत्तिजनक है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये पंचायत द्वारा उक्त अधिक व्यय किस मद से किया गया है, बारे में भी स्पष्टीकरण देते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति बारे सम्बन्धित संस्था/विभाग से मामला उठाया जाए एवं इसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुये वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/— व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाचउरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया

गया जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह सभी निर्माण कार्य प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति उपरान्त एवं नियमानुसार प्राकलन तैयार करने उपरान्त किये गये हैं अथवा नहीं? अतः अंकेक्षण अवधि में किये गये सभी निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

13 ₹1.83 लाख के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः

ग्राम पंचायत टिक्कर द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत रोकड़ बहियों एवं व्यय वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा एवं विभिन्न अनुदानों की रोकड़ बहियों में निम्नविवरणानुसाार ₹183240/– का व्यय दर्शाया गया है किन्तु उक्त व्यय के समर्थन में किसी भी प्रकार का अभिलेख जैसे कि बिल/वाउचर आदि जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये एवं न ही उक्त भुगतान जिन्हें किये गये हैं उनके द्वारा प्राप्ति रसीदें, भुगतान जिस सम्बन्ध में किये गये उसका विवरण क्रय सामान (यदि है) कि स्टॉक प्रविष्टियाँ एवं उनके आगामी निपटारे से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

क्र0 सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0सं0	दिनांक	कार्य का नाम/विवरण	(₹)	टिप्पणी
	मनरेगा	**माह 03/14**				
1		वर्णन नहीं	17.03.14	सिंचाई टैंक देव, मस्ट्रोल 404 से 406	47610	
2		वर्णन नहीं	18.03.14	–यथोपरि– मस्ट्रोल वर्णन नहीं	1932	
3		वर्णन नहीं	18.03.14	खाता क्रेट वायर बाधन MR–422570	1794	
4		वर्णन नहीं	18.03.14	खाता भूमि समतल चन्दू राम तेला मस्ट्रोल 422570	1656	
5		वर्णन नहीं	18.03.14	फोटोस्टेट	1240	
6		166	18.03.14	भूमि समतल हरि सिंह टिक्कर मस्ट्रोल 56145615	22946	
7		167	18.03.14	सिंचाई टैंक देव सीमेन्ट 56 बैग	13160	
8		168	22.03.14	डम्पिंग पिटट टिक्कर सीमेन्ट 5 बैग	1175	
9		169	22.03.14	डम्पिंग पिटट ब्रोही सीमेन्ट 6 बैग	1410	
10		170	22.03.14	डम्पिंग पिटट जोरला सीमेन्ट 6 बैग	1410	
11		171	22.03.14	डम्पिंग पिटट बल्ह	1645	

				सीमेन्ट 7 बैग		
12		172	22.03.14	डम्पिंग पिटट ग्यासी सीमेन्ट 55 बैग	12925	
13		173	22.03.14	सिंचाई टैंक पालचा सीमेन्ट 56 बैग	13160	
14		174	22.03.14	फोटो स्टेट बिल	281	
	मनरेगा	**माह 07/14**				
15		95	26.7.14	हि0प्र0 सिविल सप्लाई कार्पोरेशन कुन्नू सीमेन्ट 100 बैग	21900	
16		96	26.7.14	किराया कुन्नु से टिक्कर	4000	
17		97	26.7.14	रेत 325 cft @ 50	16250	निर्माण सिंचाई टैंक, देव
18		98	26.7.14	बजरी 50 cft @ 50	2500	
	विभिन्न अनुदान	**माह 03/14**				
19		32	28.3.14	खाता बाबड़ी ग्यासी सरिया 50 कि0ग्रा0	2652	
20		33	28.3.14	खाता बाबड़ी रीठा, सरिया 50 कि0ग्रा0	2652	
21		34	28.3.14	हि0प्र0 सिविल सप्लाई कार्पोरेशन कुन्नू	8442	सीमेन्ट 42 बैग
22		40	28.3.14	कम्पयूटर मुरम्मत	2500	
				योग	**183240**	**183240**

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में दर्शाये गये एवं भुगतान किये गये उपरोक्त ₹183240/– के व्यय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख जाँच/पुष्टि हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना अपने आप में संदेहास्पद है एवं उक्त व्यय की प्रमाणिकता पर प्रश्नचिन्ह है। अतः इन समस्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों बारे विभागीय स्तर पर छानबीन/जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए एवं यदि उक्त व्यय से सम्बन्धित अभिलेख पंचायत में उपलब्ध नहीं है तो इस समस्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से यथाशीघ्र करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 स्व स्त्रोतों व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही में ₹0.05 लाख की मजदूरी के रूप में अधिक अदायगीः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में स्व स्त्रोत एवं विभिन्न अनुदान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सत्र 2013–14 में निम्न विवरण अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा ₹5106/– का दुर्विनियोजन किया गया हैः–

G.P. Tikker

(i) निर्माण कार्य खुरल लोटकरा हेतु पंचायत द्वारा मस्ट्रोल संख्या 020420, अवधि 01.01.2014 से 30.01.2014 जारी किया गया था एवं इसका भुगतान वाउचर संख्या 27 दिनांक 28.3.2014 द्वारा ₹9936/– का दर्शाया गया है। उक्त मस्ट्रोल की जाँच में पाया गया कि इस मस्ट्रोल द्वारा 72 कार्य दिवस अर्जित किये गये एवं इसी हेतु ₹138/– प्रतिदिन की दर से ₹9936/– की बुकिंग रोकड़ बही में एवं निकासी की गई किन्तु मजदूरों को भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मजदूरों को केवल 67 दिनों की मजदूरी का ही भुगतान किया गया है एवं इस प्रकार 5 कार्य दिवस के भुगतान ₹690/– का दुर्विनियोजन किया गया है।

(ii) निर्माण कार्य बावड़ी कुरला छान हेतु जारी मस्ट्रोल संख्या 028889 अवधि 01.4.2013 से 16.4.2013 (वाउचर संख्या 30 दिनांक 28.3.2014) की जाँच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल द्वारा कुल 144 कार्य दिवस अर्जित किये गये एवं 144 कार्य दिवस की ₹19872/– की निकासी की गई किन्तु जाँच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल के क्रम संख्या 3 से 10 तक के मजदूरों को उनके द्वारा अर्जित कुल 14 कार्य दिवस के स्थान पर 10 कार्य दिवस का ही भुगतान किया गया है एवं इस प्रकार 4 कार्य दिवस प्रति मजदूर की दर से कुल 32 कार्य दिवस की ₹4416 का सम्बन्धित कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा दुर्विनियोजन कर लिया गया है। अतः इस बारे में मजदूरों को भुगतान न की गई ₹4416 की वसूली सम्बन्धित से की जाए एवं कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

अतः उपरोक्त वर्णित विवरणानुसार कुल ₹5106/–की वसूली सम्बन्धित से शीघ्र की जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मनरेगा के अन्तर्गत ₹0.03 लाख की मजदूरी के रूप में अधिक अदायगीः–

ग्राम पंचायत टिक्कर के मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि गलत गणना एवं गलत प्रविष्टियों के कारण रोकड़ बही में निम्न विवरणानुसार ₹3042/– का अधिक व्यय दर्शा कर इस राशि की सम्बन्धित बैक खाते से निकासी की गई हैः–

(i) निर्माण कार्य भूमि समतल नन्द लाल सुपुत्र शागरू जोरला हेतु जारी मस्ट्रोल संख्या 2026 (वाउचर संख्या 76 दिनांक 22.7.2014) में कुल कार्य दिवस 37 बनते हैं एवं जिस हेतु ₹154 प्रतिदिन की दर से ₹5698/– की कुल मजदूरी देय थी, किन्तु गलत गणना के कारण कुल कार्य दिवस 44 लिये गये एवं ₹154/–प्रतिदिन की दर से ₹6776/– का व्यय रोकड़ बही में दर्ज कर इस राशि की निकासी बैंक खाते से की गई है। अतः इस प्रकार ₹1098/– की अधिक निकासी की गई है जिसकी वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

(ii) निर्माण कार्य भूमि समतल सन्त राम सुपुत्र चुनी लाल हेतु जारी मस्ट्रोल संख्या 6112 से 6114 (वाउचर संख्या 131 दिनांक 29.1.2016) द्वारा कुल 211 कार्य दिवस अर्जित किये गये थे एवं जिस हेतु भुगतान ₹162/– प्रतिदिन की दर से ₹34182/– बनता है किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही में इस वाउचर के विरूद्ध ₹36126/– दर्ज की गई है एवं इसी राशि का भुगतान बैंक से निकाला गया है। इस प्रकार पंचायत द्वारा ₹1944/– रोकड़ बही में दर्ज कर इस राशि को बैंक से अधिक निकाला गया है। अतः इस अधिक दर्ज एवं निकाली गई ₹1944/– की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से शीघ्र करने उपरान्त खाते में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
4	बजट प्राकलन	11,12	37, 38
5	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
6	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1) (घ)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) (ख)
8	तकनीकी जाँच पड़ताल और तकनीकी मजदूरी आंकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता के अतिरिक्त रोकड़ बहियों के लेखन एवं उनके सम्बन्धित बैंक खातों से मिलान की ओर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(7)/2017–खण्ड–1–374–377 दिनाँकः 24.01.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत टिक्कर, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.